न्यायालय, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, हिलसा (नालन्दा)

अग्रिम जमानत आवेदन सं–873 / 22

दिलीप कुमार उर्फ दिलीप पासवान . . . . . आवेदक

वनाम

बिहार राज्य . . . . . विपक्षी

आवेदक की ओर से– श्री संदीप कुमार, विद्वान अधिवक्ता
विपक्षी की ओर से – श्री राजाराम सिंह, विद्वान प्रभारी अपर लोक अभियोजक

01.02.2023 आवेदक दिलीप कुमार उर्फ दिलीप पासवान की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन पर बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान प्रभारी अपर लोक अभियोजक को सुना, जो एकंगरसराय थाना काण्ड सं–230 / 22 अन्तर्गत धारा–341,323,354(बी),504,506 भा0 द0 वि0 से संबंधित है।

विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रार्थी निर्दोष है, जिसे ग्रामीण राजनीति के तहत गलत अभियोग के आधार पर इस मामले में झूठा फंसाया गया है। आवेदक वर्तमान में ग्राम कचहरी, धुरगॉव का सरपंच है तथा दलित परिवार से आता है, जिसकी पत्नी को डायन कहकर प्रताड़ित करने और उसका विरोध करने पर यह झूठा केस किया गया है। आवेदक द्वारा भी परिवाद पत्र सं–604सी. / 22 दाखिल किया गया है। आवेदक को पुलिस गिरफ्तार करने के फिराक में है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अतः आवेदक को अग्रिम जमानत पर मुक्त किया जाय।

विद्वान प्रभारी अपर लोक अभियोजक द्वारा जमानत का विरोध किया गया।

सूचिका धर्मशीला देवी द्वारा थाना में दिये गये आवेदन अनुसार दिनांक 14.09.2022 को दिलीप पासवान एक दिन पूर्व रहर का फसल उखाड़ रहा था, जो सूचिका को देखकर भाग गया। दिनांक 15.09.2022 को उसके संबंध में सूचिका उससे पूछी तो वह आग बबुला हो गया और गाली–गलौज एवं अभद्र व्यवहार किया तथा लाठी, डंडा से मारकर जख्मी कर दिया और बुरी नियत से रोड पर पटक दिया।

उभय पक्षों को सुना एवं काण्ड दैनिकी का अवलोकन किया। आवेदक के विरूद्ध सूचिका का फसल उखाड़ने एवं पूछने पर अभद्र व्यवहार करने तथा लाठी, डंडा से मारकर जख्मी करने और बुरी नियत से पटक देने का आरोप लगाया गया है। कंडिका–7, 8 एवं 16 में साक्षियों द्वारा भी बयान दिया गया है कि दिलीप पासवान सूचिका को गलत नियत से उठाकर रोड के बगल में पटक दिया। चिकित्सक ने सूचिका के सिर पर कठोर वस्तु से कारित जख्म साधारण प्रकृति का पाया गया है। मामला अभी अनुसंधानरत है।

अतः उपरोक्त वर्णित समस्त तथ्यों एवं मामले के परिस्थितियों पर विचारोपरान्त आवेदक को अग्रिम जमानत पर मुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। आवेदक यदि आदेश की तिथि से छः सप्ताह के अन्दर न्यायालय में आत्मसमर्पण कर नियमित जमानत आवेदन दाखिल करते हैं तो विद्वान निम्न न्यायालय इस आदेश से प्रभावित हुए बिना इस पर विचार करते हुए कि दोनों पक्षों द्वारा एक–दूसरे पर केस किया गया है, विधिसंगत आदेश पारित करेगी।

(लेखाप्रित)

(अजीत कुमार सिंह)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, हिलसा